न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

62/2026

मोहसीन राशीद खान निवासी राज टाकीज रोड, वार्ड नं. 19 टोंक जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 01.04.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय किसी भी निजी महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाती है तो उसकी अनिवार्य शर्त है कि उस महाविद्यालय में अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगे हुए होना चाहिए एवं चालू होना चाहिए जिस से परीक्षा में नकल एवं दूसरी गेर क़ानूनी गतीविधियों को रोका जा सके, एवं छात्र और खास करके छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें, इसी संदर्भ में मैंने छात्र हित एवं सामाजिक हित को मध्यनजर रखते हुए निम्न लिखित परीक्षा केंद्रों की परीक्षा की CCTV सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी, क्यूंकि मुझे शिकायतें मिली की काफी महाविद्यालय ने MDS विश्वविधालय के कड़े निर्देशों के बावज़ूद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं की ताकि उनके कुछ खास छात्र को नकल करायी जा सके, जो की समाज के लिए एक अभिशाप की भांति है, इसी लिए मैंने सर्व हित, परीक्षाओं में नकल कटाने वाले महाविद्यालयों और शिक्षकों पर उचित कानूनी कार्यवाही कराने एवं सबूत के साथ इसकी शिकायत सरकार को करने की नियत से निम्न लिखित महाविद्यालयों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग महर्षि दयानंद सरस्वती विविद्यालय से मांगी थी, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय ने पत्र क्रमांक 34202 जो की संलग्न है में मुझे यह निर्देशित किया कि, मैं संबंधित महाविद्यालय से उक्त रिकॉर्डिंग माँग सकता है, अतः आपके समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की सूचना के अधिकार के तहत निम्न लिखित सूचना उपलब्ध कराएं एवं इन समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित करें की उक्त CCTV रिकॉर्डिंग एक साक्ष्य है, एवं सरकारी दस्तावेज़ है इसे नष्ट ना करें बल्की इसे संभाल के रखें।

कृपया करके निम्नलिखित बिंदुवार जानकारी जिस प्रारूप में हो उपलब्ध कटाएं :—

एम एस सी परीक्षा 2026 की विश्वविधालय द्वारा मार्च 2026 में टोंक जिले के निजी महाविद्यालयों जिनको MSD विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है उनमें जो परीक्षाएँ हो चुकी हैं एवं जो जो होनी हैं. उन सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा के समय की सम्पूर्ण परीक्षा दिवस की CCTV रिकॉर्डिंग देने की कृपया करें। उक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र की CCTV रिकॉर्डिंग के लिए पेंन ड्राइव का खर्चा में स्वयं देने के लिए राज़ी हूँ, एवं मेरे द्वारा माँगी गई समस्त सूचना विभाग को जनहित के लिए सार्वजनिक करने की पूर्ण अनुमति देता हूँ।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1060 दिनांक 18.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 172 दिनांक 25.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 239 दिनांक 06.04.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 240 दिनांक 06.04.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक